

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 21.11.1990

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, 21. November, 1990

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. 879 (E) In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :-

1. (1) These Rules may be called the Income-tax (*Twentieth* Amendment) Rules, 1990.
(2) They shall come into force on the 14th day of December, 1990.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for Form No.1, the following Form shall be substituted, namely, -

1

B. PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

1. Business or Profession (other than speculation business) :
Net Profit / Loss as per Profit & Loss Account Rs. _____

2. Adjustments:	Add	Deduct
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____

3. Total of Adjustments Rs. _____ Rs. _____

4. Balance after adjustments of 1±3 above Net Profit / Loss Rs. _____

5. Share in Profit / Loss of RF (s) Rs. _____

6. Share in Profits or Losses of
URF Rs. _____
AOP Rs. _____
BOI Rs. _____

Total Rs. _____

7. CHARGEABLE INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION (OTHER THAN SPECULATION BUSINESS)
(i.e. Result of 4,5 and 6) Rs. _____

8. Speculation Business :
Net Profit / Loss as per Profit & Loss Account Rs. _____

9. Adjustments:	Add	Deduct
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
_____	Rs. _____	Rs. _____
10. Total of Adjustments	Rs. _____	Rs. _____

11. CHARGEABLE INCOME FROM SPECULATION BUSINESS (8±10) Rs. _____

12. NET CHARGEABLE INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION (7+11) Rs. _____

C. CAPITAL GAINS

Short Term Assets

Long Term Assets

1. Particulars of asset transferred				
2. Date of Acquisition				
3. Date of Transfer				
4. No. of months asset held before transfer				
5. Mode of Transfer				
6. Full value of Consideration	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
7. Deductions:				
(i) Cost of Acquisition	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
(ii) Cost of Improvement	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
(iii) Cost of Transfer	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
8. Total of Deductions	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
9. Balance (6-8)	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
10. Less: Other deduction (s)	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
11. Balance (9-10)	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
12. Add / Deduct :				
Amount deemed to be Capital Gains (Other than U/s.50) (Please specify)				
(a)	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
(b)	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
13. Total [12(a)+12(b)]	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
14. Total (11+13)	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Rs.
15. Short Term Capital Gains U/S 50				Rs.
16. Net amount of Capital Gains :	Upto 15/9	16/9 to 15/12	16/12 to 31/3	
SHORT TERM CAPITAL GAINS U/S 50	Rs. 	Rs. 	Rs. 	
OTHER SHORT TERM CAPITAL GAINS	Rs. 	Rs. 	Rs. 	
LONG TERM CAPITAL GAINS	Rs. 	Rs. 	Rs. 	
TOTAL :	Rs. 	Rs. 	Rs. 	Grand Total Rs.

D. INCOME FROM OTHER SOURCES

1. (a) Dividends		
(b) Interest		
(c) Winnings from lotteries, cross - word puzzles, races etc.		
(d) Rental income from machinery, plants, buildings etc.		
(e) Others		
2. Total of 1(a) to 1 (e)		Rs.
3. Less: Deductions; (please specify)		
Depreciation		
4. Total of Deductions		Rs.
5. NET CHARGEABLE INCOME FROM OTHER SOURCES (2-4)		Rs.

Amount(s) to be set off against current Year's Income (Rs.)	Indicate whether determined or as per last return	Indicate whether same business continued (Yes/No)

a. Assessment year	1982-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90			
b. Business loss											
i. Speculation											
ii. Other than Speculation											
c. Depreciation											
d. Investment Allowance											
e. Any other loss / allowance (Please specify)											
2. Depreciation earlier to assessment year 1982-83				A.Y.							
				Amount (Rs.)							

Rs. _____

1. Net Profit			Rs.
2. Adjustments:	Add	Deduct	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
3. Total of Adjustments	Rs.	Rs.	
4. Balance after adjustments of 1 and 3 above		Book Profit	Rs.
5. Thirty percent of Book Profit			Rs.

Rs. _____
Rs. _____
Rs. _____
Rs. _____
Rs. _____
Rs. _____
Rs. _____

<p>1. A. Income from House Property B. Profits and Gains of Business or Profession C. Capital Gains D. Income from Other Sources</p>	(item A.8) (Item B.12) (Item C.16) (item D.5)	Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____
<p>2. Total (A to D)</p>		
<p>3. Less: Brought forward unabsorbed losses or allowances from earlier years.</p>		
<p>4. Gross Total Income (2-3)</p>		
<p>5. Less : Deductions under Chapter VI-A</p>		
Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____	(Item E.)	Rs. _____ Rs. _____
Total		Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____
<p>6. Total Income (4-5)</p>		
<p>7. 30% OF BOOK PROFIT UNDER SECTION 115J.</p>		
<p>8. Total Income (i.e. higher of items 6 or 7 above)</p>		
<p>9. Total Income (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees)</p>		
<p>(in words)</p>		
Total		Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____
Total		Rs. _____ Rs. _____

PART- II STATEMENT OF TAXES

1. Tax on Total income	(a) At special rates	Rs. _____
	(b) At normal rates	Rs. _____

2. Add:

(a) Interest on late filing of return	Rs. _____
(b) Interest for default in payment of Advance tax	Rs. _____
(c) Interest for deferment of Advance Tax	Rs. _____

3. Total Tax and Interest payable (1+2)

4. Prepaid Taxes

(A) Advance-tax instalments (Attach Challans)

1st	2nd	3rd	Total
-----	-----	-----	-------

Amount (Rs.)				
Date				
Name of Bank				
Branch				

(B) Tax Deducted / Collected at Source [Attach certificate(s)]

(a)	Interest	Rs. _____
(b)	Dividends	Rs. _____
(c)	U/S.206C	Rs. _____
(d)	Any other item (Please specify)	Rs. _____
(e)	Total [(a) to (d)]	

Rs. _____

5. Tax on Self Assessment (Attach Challan)

Amount:

Date of Payment

		-			19		
--	--	---	--	--	----	--	--

Income-tax	Interest in respect of 2 above	Total
------------	-----------------------------------	-------

Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____

6. Other prepaid taxes, if any

Rs.

7. Total (4 to 6)

Rs.

8. NET TAX PAYABLE OR REFUNDABLE (i.e. Difference of 3 and 7)

Rs.

PART - III A. INFORMATION RELEVANT TO BUSINESS OR PROFESSION

1. General Particulars :

(a) Name in which business / profession is carried on

(b) Name and Address (es) of branch (es)

(c) Nature of Business or Profession

(d) Method of stock valuation

(e) Name and address of the following officers of the Company :

Managing Director

Principal Officer

Secretary

B. INFORMATION REGARDING TAX DEDUCTED / COLLECTED AT SOURCE BY THE COMPANY

1. Tax Deduction A/c No. of the Company

2. Name of TDS circle with which return filed

[illegible][illegible]

C. AMOUNT DEDUCTED IN COMPUTING INCOME FROM PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
(a) Depreciation	_____	(g)	_____
(b)	_____	(h)	_____
(c)	_____	(i)	_____
(d)	_____	(j)	_____
(e)	_____	(k)	_____
	_____	(l)	_____

PART - IV INCOME CLAIMED EXEMPT

Nature of Income	Amount (Rs.)	Reasons for claim
(a)		
(b)		
(c)		
(d)		
(e)		

PART - V LIST OF DOCUMENTS / STATEMENTS ATTACHED

(a)	(f)
(b)	(g)
(c)	(h)
(d)	(i)
(e)	(j)
	(k)

VERIFICATION

I, _____, son / daughter / wife of Shri _____
(name in full and block letters)

*being the _____ of _____
(designation) (name of the company)

holding a valid power of attorney from _____
(name of the company)

solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this return and the annexures and statements accompanying it is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and relate to the previous year(s) relevant to the assessment year 19 ____ - 19 ____.

*I further solemnly declare that during the said previous year(s) -

- (a) no other income accrued or arose to or was received by the company from any asset held in the name of the company or in the name of any other person;
- (b) there is no other income, including income of any other person, in respect of which the company is chargeable to tax under the Income-tax Act, 1961.

*I further solemnly declare that during the said previous year(s) -

- (a) no other income accrued or arose to or was received by the person in respect of whose total income the company is assessable from any asset held in the name of the person in respect of whose total income the company is assessable or in the name of any other person;
- (b) there is no other income, including income of any other person in respect of which the person in respect of whose total income the company is assessable is chargeable to tax under the Income-tax Act, 1961.

I further declare that in my capacity as _____ I am competent to make this return and verify it on behalf of the company. (designation)

Place _____

Date _____

**Signature

* Strike out whichever is not applicable

** Before signing the declaration, the signatory should satisfy himself that this return and the accompanying annexures and statements are correct and complete in all respects. Any person making a false statement in this return or the accompanying annexures or statements will be liable to prosecution under section 277 of Income-tax Act, 1961, and on conviction be punishable under that section with rigorous imprisonment and with fine.

NOTES (TO BE DETACHED AND RETAINED BY THE ASSESSEE)

FORM NO.1

[Income-tax Act, 1961/Rule 12(1)(a)]

General

- I. Form No.1 is for Companies other than those claiming exemption under section 11.
- II. All Parts and columns must be filled in in the manner provided hereunder. If any Part or column does not apply, please mention NA (Not Applicable) and do not put any other mark or symbol. Please do not use the phrase 'As per Record' or words to that effect.
- III. The numbers given in these notes under each page refer to the corresponding item numbers on the respective pages of the Return of Income.
- IV. In case space provided under any Head of Income is found insufficient, then give computation in respect of each such source of income on separate sheet(s) using the columns indicated for that purpose under the relevant Head of Income in the Return Form. The sum totals of such computation done should be indicated in the columns provided under the relevant Head in the Return Form. Similarly, any other information asked for in this form, which can not be completely furnished on account of paucity of space, may be furnished on a separate sheet.
- V. References to sections and rules in these notes are references to the sections and the rules of the Income-tax Act, 1961 and the Income-tax Rules, 1962, respectively.

Page-1

1. Strike out whichever is not applicable. If it is a return for assessment year 1990-91 being filed for the first time then it is an Original Return. To indicate this, leave 'Original' as it is and strike out the rest, eg: ORIGINAL / REVISED / U/S 142(1) (i) / 148/237. Similarly, to indicate a return being filed in response to a notice issued under S.142(1)(i) leave 'Original' and U/S 142(1)(i) as it is and strike out the rest.
2. Indicate the assessment year for which the return is filed. (Assessment year is a period of 12 months immediately following the financial year. Thus, for the period 1.4.1989 to 31.3.1990, the assessment year will be 1990-91).
3. If this is a revised return, first give the receipt number and then the date of filing the original return. Example: If the original return is filed on 15.6.1990, for which the department had issued receipt No.4210, it should be indicated in the boxes as:

4	2	1	0	15	-	0	6	-	1	9	9	0
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

4. The Permanent Account Number given to the taxpayer and Ward / Circle / Range are to be quoted here. If it is not so given, indicate the GIR number, if any. If neither is given, write NOT ALLOTTED in the first row of boxes and mention Income-tax Ward/Circle/Range where assessed or assessable in the lower row of boxes after ascertaining the same from the Public Relation Officer of the I.T. Office or at the Receipt Counter.

5. Write the name using block letters. Leave one box blank after each limb. Example: Golden Synthetics Ltd.

G	O	L	D	E	N	-	S	Y	N	T	H	E	T	I	C	S	-	L	T	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. For indicating the status, please use one of the following codes:

- A domestic company in which the public are substantially interested	12
- A domestic company which is not a company in which the public are substantially interested and which is not a trading company or an investment company.	13
- A domestic company which is a trading company or an investment company and is also a company in which the public are not substantially interested.	14
- A company other than a domestic company.	15

Example: If it is the case of a domestic company in which the public are substantially interested, the correct code will be 12.
7. Please use one of the following codes to indicate the residential status:-

Resident	... 01
Non-resident	... 02

Relevant provisions are in Section 6.

8. Give the complete address along with Telephone Numbers and Pin Code, if any.
9. Strike out whichever is not applicable.

Part I

A. INCOME FROM HOUSE PROPERTY

1. Please give complete postal address(es) of the property(ies). If the assessee owns more than one property, please mention that on a separate sheet and attach that to the Return.
2. Indicate here the annual lettable value or the annual rent received/receivable, whichever is higher. If you own more than one house property, please give separate computation in respect of each such property using the columns indicated here.

The deductions admissible under section 23 should be claimed here, such as:

- (a) Municipal Taxes: Assessee can claim deduction only if these are (i) borne by it and not by tenant and (ii) paid during the year. Please attach proof of such payment.
- (b) New construction allowance: The relevant provisions are given in the second proviso to Section 23(1).

Specify each item of deduction separately along with the amount claimed deductible thereunder.

4. The sum total of deductions claimed u/s 23 is to be indicated here.
5. Indicate here the balance (i.e. 2-4).
6. Indicate here the deduction(s) claimed U/S 24 (specifying each item separately), such as :
 - (i) Repairs - The assessee is entitled to one sixth of the Annual Value as repairs if it is not borne by a tenant - Section 24(1)(i).
 - (ii) Insurance - Section 24(1)(ii)
 - (iii) Annual Charge - Section 24(1)(iv)
 - (iv) Ground Rent - Section 24(1)(v)
 - (v) Interest on borrowed capital - Section 24(1)(vi)
 - (vi) Land Revenue - Section 24(1)(vii)
 - (vii) Collection Charges (the admissible limit is the actual expenditure or 6% of the ALV, whichever is less) - Section 24(1)(viii).
 - (viii) Vacancy allowance - Section 24(1)(ix)
 - (ix) Unrealisable rent - Section 24(1)(x)
7. The sum total of deductions claimed u/s 24 is to be indicated here.
8. The net income chargeable under the head 'INCOME FROM HOUSE PROPERTY' (i.e. 5 - 7) is to be indicated here.

Page-2

B. PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

Business or Profession (other than speculation business)

Please furnish with the Return following documents/information material to computation of income:

- I. Copies of the audited manufacturing account, trading account, profit and loss account, balance sheet, the auditor's report and the cost audit report (if applicable).
- II.
 - (a)
 - (i) If the accounts are audited under section 44AB the report of such audit together with the requisite particulars.
 - (ii) In case the assessee has claimed deduction under section(s) 32AB, 33AB, 80HHA, 80HHC or 80HHD, the report of accountant relating to the deduction(s) together with the requisite particulars.
 - (b) In case the provisions of section 44AC, 44B, 44BB, 44BBA and 44BBB are applicable, details regarding the same.
- III. Additional information to be furnished by assessee engaged in contract work: If the value of materials supplied by the person with whom the contract was made or the amount of security deposit (out of the payment due for work done) retained by him has not been included in the gross receipts shown, please attach a statement showing the value of materials and the amount of security deposit.
- IV. Additional information to be furnished by producers of cinematograph films: please indicate whether the statement of payments to persons engaged in the production of cinematograph films has been delivered to the concerned Assessing Officer under section 285B.

- V. In case of a dealer, broker, agent or any other person concerned in the management of a stock or commodity exchange, he should furnish a statement of the names and addresses of all persons to whom he or the exchange has paid in the previous year any sum or aggregate sums:
- In excess of Rs.2,000/- by way of 'difference',
 - in excess of Rs.10,000/- in connection with the transfer, whether by way of sale, exchange or otherwise, of assets, or on whose behalf or from whom he or the exchange has received any sum together with particulars (amount, date, etc. of such payments and receipts).
- VI. If the assessee has paid during the previous year, rent, commission, royalty or brokerage or any annuity (not being annuity assessable under the head "salaries") exceeding one thousand rupees, separate statement (according to nature of payment) showing the names and addresses of the payees and the amounts paid should be furnished in a separate sheet along with return. If any payee is a non-resident it should be indicated whether tax has been deducted at source and paid to the credit of the Central Government or not. Also please attach statement containing names of persons and gross amounts in cases of sales and purchases exceeding Rs.10,000 in value.

Net Profit/Loss as per Profit and Loss Account

Give here the profit/ loss as per Profit & Loss Account from business/profession (other than speculation business). Where the assessee has more than one business /profession, or has any deemed income or income from a discontinued business/profession, computation for each such business/profession should be given in separate sheets (using the same format as given in this sub-part) and attached to the return.

2. Adjustments:

- Please indicate additions and deductions of amounts which have not been adjusted in the Profit/Loss Account in accordance with Sections 28 to 44C.
- Also please furnish with the Return:
 - Particulars in respect of depreciation allowance:
 - in respect of each block of assets:
 - description of assets forming part of the block in the beginning of the previous year, their written down value, description and cost of assets purchased during the year and the description and sale price of any asset sold during the year;
 - written down value at the end of the year;
 - the rate at which depreciation claimed and the amount of depreciation.
 - Description of assets forming part of the block of assets eligible for 100% depreciation during the year. Also state whether any of these assets were sold during the year and if so, the break-up of the sale price in respect of each such asset.
 - Description of assets forming part of the block of assets which exists but whose written down value has been reduced to NIL as the full value of the consideration received on the transfer of any asset forming part of the block during the year exceeds the written down value of the said block at the beginning of the year together with the cost of any asset of that block purchased during the year.
 - Particulars in respect of Investment Allowance, Investment Deposit Account:
 - Details of ship or aircraft or plant or machinery purchased during the year on which Investment Allowance has been claimed and the rate thereof (Also attach supporting evidence of acquiring the asset)
 - Details of deposit(s) made with Development Bank in accordance with the Investment Deposit Account Scheme, 1986 [section 32AB(1)(a)] [attach proof of deposit(s)].
 - Details of ship or aircraft or plant or machinery purchased on which deduction under Investment Deposit Account claimed [Section 32AB(1)(b)] (attach supporting evidence for the purchase).
 - Details of assets purchased out of the withdrawals made in accordance with the Investment Deposit Account Scheme, 1986 or the Investment Deposit Account Scheme, 1986 (Tea). [Attach supporting evidence for the purchase of the new asset, the amount(s) withdrawn from the Industrial Development Bank of India or the National Bank for Agriculture and Rural Development, as the case may be, and the date(s) of the withdrawal(s)].
 - Details of expenditure incurred out of the amount(s) withdrawn from National Bank for Agriculture and Rural Development in accordance with the Investment Deposit Account Scheme, 1986 (Tea), giving the break-up of the amount and the date(s) of the withdrawals.

3. Indicate the aggregate amount of adjustments separately under the Add and Deduct columns.
4. Net profit /loss (i.e. balance after adjustments of 1 and 3) should be indicated here.
5. **Share in Profit/Loss of RF(s)** The space provided is for indicating share from one firm. In case assessee is a partner in more than one Registered Firm, then mention such share in profits/loss of RFs on separate sheet(s) using the same columns as indicated here and attach that to the Return. Also please attach copy /copies of personal account(s) in the firm(s). Also please attach headwise details of the 'Share in Profit/Loss of RF(s)' as per provisions of Section 67.
6. I. Please mention here **Share in Profit or Loss of URF/AOP/BOI** separately in the given space and take the sum total of all these to the outer column. (Strike out whichever is not applicable). If the space provided is insufficient, use a separate sheet and attach that to the return. Where such income is not included here in the income of the assessee eg. incomes falling in clause (a) of the proviso to section 86(v), the details thereof and reasons for non-inclusion should be mentioned on a separate sheet and attached to the return. Further, it may be clarified whether the said share is to be included in the total income for rate purposes only or otherwise. If there is a loss, please exclude losses falling under section 77(2).
 II. Assessee should also furnish with the Return :
 (i) If a partner in an URF or a member of an AOP/BOI, his personal account(s) in such URF/AOP/BOI,
 (ii) Complete details regarding Discontinued Business /Profession on a separate sheet.
 (iii) Details of the amount(s) deemed to be his income under Section 32A/32AB/33AB/33AC/80HHD(5).
 (iv) If the assessee has received income from his employee as contribution to any fund specified in section 2(24)(x) during the previous year, which is chargeable to tax under the head "Profits and Gains of Business or Profession" or "Income from Other Sources", details of such income as well as of sums credited by the assessee to the employee's account in the relevant funds on or before the due date mentioned in section 36(1)(va).
 III. If the space provided is insufficient, then mention details on a separate sheet and attach that to the Return.
7. Indicate here the result of 4, 5 and 6 [i.e. resultant **INCOME/LOSS FROM BUSINESS/PROFESSION (other than speculation business)**].
8. Mention the amount of **INCOME FROM SPECULATION BUSINESS**. If this represents share from RF/URF/AOP/BOI then it should be clearly stated and complete details of such RF/URF/AOP/BOI, such as the names of partners/members, their profit sharing ratios and copy of personal account of the assessee in such RF/URF/AOP/BOI should also be furnished and attached to the Return.
9. **Adjustments:** Please indicate additions and deductions of amounts which have either not been adjusted in the Profit /loss Account, or if adjusted these are higher or lower than the admissible amounts. Additions/ deductions which the assessee is liable/entitled to in relation to share in profits/loss of RF/URF/AOP/BOI and not already adjusted in the case of such RF/URF/AOP/BOI should also be indicated here.
10. Indicate the aggregate amount of adjustments separately under the Add & Deduct columns.
11. Indicate here the chargeable **INCOME FROM SPECULATION BUSINESS** (i.e. the adjusted balance of 8 and 10).
12. Indicate here the net chargeable '**INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION**' (i.e. 7 + 11). In case the amount at 11 is a loss then the same cannot be adjusted against 7. In that case the amount at 7 should be repeated at 12.

Page-3

C. CAPITAL GAINS

1. Give the description of the assets transferred. Separate columns have been provided for short term and long term assets. The particulars of assets transferred should accordingly be given in the respective columns. If the transfer involves more than two short term/long term assets, separate computation sheet, in the given format, should be attached to the Return.
2. Indicate here the date of acquisition of the asset by the assessee, wherever applicable.
3. Give here the date on which the asset has been transferred.
4. Please indicate in months the period for which the asset has been held by the assessee before transfer.
5. Please indicate which of the following modes of transfer is involved:-
 (i) the sale, exchange or relinquishment of the asset; or
 (ii) the extinguishment of any rights therein; or
 (iii) the compulsory acquisition thereof under any law; or
 (iv) in a case where the asset is converted by the owner thereof into, or is treated by him as, stock-in-trade of a business carried on by him, such conversion or treatment; or
 (v) any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882); or

- (vi) any transaction (whether by way of becoming a member of, or acquiring shares in, a co-operative society, company or other association of persons or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever) which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property.
- In case of compulsory acquisition please mention on a separate sheet the Act under which the said acquisition has been made as also the dates of Notification and Possession.
6. The gross amount realised/realisable from the transfer of the asset is to be indicated here.
7. Please indicate here :
- Cost of Acquisition: It is the cost incurred by the assessee in acquiring the asset or the cost in terms of sections 49 and 55(2).
 - Cost of Improvements: It is 'nil' in relation to 'goodwill' while in relation to other assets, it is the cost incurred in improving the asset - Section 55(1)(b)
 - Cost of transfer. It is the cost in connection with the transfer - Section 48(1)(a)(i).
8. The sum total of deductions of 7 is to be indicated here.
9. Indicate here the balance amount (6-8). If this results in a loss, indicate it by a minus (-) symbol.
10. Other deductions: The deductions admissible against short term and long term capital gains are to be indicated here separately. Please specify each item alongwith the amount deductible thereunder. If the space is inadequate, use separate sheet(s). If the balance at 9 in relation to any Long Term Capital Asset is a loss the amount of loss should be arrived at in accordance with the provision of Sub-Section (3) of Section 48.
- The admissible deductions are:
- Short term capital gains:
 - Amount exempt under section 54B(1), 54D(1) or 54G(1)
 - Amount deposited under Section 54B(2), 54D(2) or 54G(2)
 - Long term capital gains:
 - Amount exempt under Section 54B(1), 54D(1) or 54G(1)
 - Amount deposited under Section 54B(2), 54D(2), 54E(1) or 54G(2)
 - Under Section 48(2).
11. Please indicate here the balance amount (9-10). If the balance of 9 is a loss, the same should be repeated here.
12. Amount deemed to be income under the head 'Capital Gains' (other than U/S 50) should be indicated here. Please specify each item separately alongwith the amount includible thereunder. The relevant provisions relating to such deemed income are in Sections 45(2)/(3)/(4)/(5), 54B(2), 54D(2), 54E(2) and 54G(2).
13. The total amount of deemed capital gains (other than U/S 50) is to be indicated here. It should be indicated separately in respect of short term and long term assets.
14. Indicate here the net result of 11 and 13 separately for short term and long term capital gains.
15. Indicate here the Short Term Capital Gains U/S 50. The relevant details thereof should be mentioned on a separate sheet and attached to the Return.
16. The periodwise net amount(s) of Short Term Capital Gains U/S 50, Other Short Term and Long Term capital gains/losses under the head '**CAPITAL GAINS**' should be indicated in the inner columns and the aggregate amount of these in the Grand Total.

D. INCOME FROM OTHER SOURCES:

- Please mention the gross amount of dividend(s). Attach a separate sheet giving the following information:
 - name of the Company;
 - number of shares;
 - gross amount of dividend;
 - tax deducted at source.

If the assessee has received any sum of the nature described under section 2(22)(c) and which is to be deemed as dividend, a statement should be furnished giving name and address of the company, nature of payment received and the sum so received. Please attach dividend warrants and other supporting evidence.
 - Please mention the gross amount of interest(s) received/receivable. Attach a separate sheet, giving information regarding each item of interest received/receivable and attach supporting evidence.
 - Give here the gross amount of winnings from lotteries, crossword puzzles and races, etc. and attach separate computation if there are two or more items, and attach supporting evidence.
 - Indicate here the Income from machinery, plant or furniture and also building let out on hire if it is not chargeable to Income-tax under the head 'Profits and Gains of Business or Profession'.
 - Specify other incomes chargeable under the head 'Income from Other Sources.'
2. The sum total of gross receipts is to be indicated here.
3. Specify the item(s) and the amount(s) of deduction(s) claimed thereunder. The relevant provisions are in Section 57.

4. The total of deductions claimed should be indicated here.
5. The net income chargeable under the head 'INCOME FROM OTHER SOURCES' is to be given here.

Page-4

E. UNABSORBED LOSSES OR ALLOWANCES BROUGHT FORWARD FROM EARLIER YEARS

1. Give here details of unabsorbed losses or allowances brought forward from earlier years. If the space provided is found insufficient, give the details on a separate sheet using the columns indicated here and attach that to the Return.
In case where profits are insufficient to absorb brought forward losses/allowances and current depreciation, the same should be deducted (subject to the latest decision of the Supreme Court) in the following order:
 Current scientific research expenditure [section 35(1)]
 Current depreciation [section 32(1)]
 Brought forward business losses [section 72(1)]
 Unabsorbed family planning promotion capital expenditure [section 36(1)(ix)]
 Unabsorbed depreciation [section 32(2)]
 Unabsorbed scientific research capital expenditure [section 35(4)]
 Unabsorbed development allowance [section 33A(2)(ii)]
 Current development allowance [section 33A(2)(i)]
 Unabsorbed investment allowance [section 32A(3)(ii)]
 Current investment allowance [section 32A(3)(i)]
2. Indicate here unabsorbed Depreciation pertaining to period earlier to Assessment Year 1982-83.

F. 30% BOOK PROFITS U/S 115J

1. Indicate here the Net Profit as shown in the Profit and Loss account prepared in accordance with Parts II and III of Schedule VI to the Companies Act, 1956.
2. Adjustments:
 - A. Please add the following amounts:
 - (i) the amount of income-tax paid or payable, or the provision therefor;
 - (ii) The amount carried to reserves, by whatever name called (other than the reserve specified in section 80HHD or sub-section (1) of section 33AC);
 - (iii) the amount set aside to the provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;
 - (iv) the amount by way of provision for losses of subsidiary companies;
 - (v) the amount of dividend paid or proposed;
 - (vi) the amount of expenditure relatable to income exempt under Chapter III of the Income-tax Act, 1961;
 - (vii) the amount withdrawn from reserve created under section 80HHD but has been utilised for any purpose other than that referred in sub-section (4) of section 80HHD;
 - (viii) the amount withdrawn from reserve created under section 80HHD to the extent such amount has not been utilised in the period specified in sub-section (4) of section 80HHD;
 - (ix) the amount deemed to be the profits under sub-section (3) of section 33AC.
 - B. Please deduct the following amounts:
 - (i) the amount withdrawn from reserves or provisions (other than reserve under section 80HHD);
 - (ii) the amount of income to which any of the provisions of Chapter III of the Income-tax Act, 1961 applies;
 - (iii) the amounts attributable to the business, profits from which are eligible for deduction under section 80HHC and 80HHD.
 - (iv) the amount of loss or the amount of depreciation which would be required to be set off against the profit of the relevant previous year as if the provisions of clause (b) of the first proviso to sub-section (1) of section 205 of the Companies Act, 1956 are applicable.
3. Indicate the aggregate amount of adjustments separately under the Add and Deduct columns.
4. Book Profit (i.e. balance after adjustments of 1 and 3) should be indicated here.
5. Indicate here 30 per cent of the Book Profit computed at 4 above.

G. STATEMENT OF TOTAL INCOME

1. Give here the net amounts chargeable to tax under different Heads of Income against items A to D. These should be same as shown against item A.8 at page 1, Item B.12 at page 2 and items C.16 and D.5 at page 3 respectively.
2. The net result of A to D (after considering provisions of Section 71 of the Act) should be indicated here.
3. I. Indicate here the total amount of unabsorbed losses/allowances brought forward from earlier years and claimed as set off as shown against item E at page 4.
4. Indicate here the resultant amount i.e. difference of item 2 and 3.
5. I. The deductions claimed under Chapter VI-A should be indicated here. The aggregate amount of these deductions should be shown in the Total.
 II. Please give the computation of the gross amount of payment/contribution, the qualifying amount and the net amount of deduction claimed. If the space provided is insufficient, give the computation on a separate sheet and attach that to the Return.
 III. Please also attach proof of payment/contribution to support the claim.

The eligible deductions under Chapter VI-A relate to:

- (i) Donations to certain funds, charitable institutions, etc. Donations to certain funds, charitable institutions etc. are eligible for deduction under section 80G if the aggregate thereof exceeds Rs.250/- . The over all ceiling limit is 10% of gross total income (as reduced by the amount on which no tax is payable or with reference to which the taxpayer is entitled to any deduction under Chapter VI-A) (Section 80G).
- (ii) Donation for scientific research, rural development or conservation of natural resources. Deduction in respect of certain donations for scientific research or rural development or conservation of natural resources is available at 100% under Section 80GGA.
- (iii) 20 per cent. of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas subject to certain conditions (Section 80HH).
- (iv) 20 per cent. of profits and gains from newly established small scale industrial undertakings in certain areas subject to certain conditions (Section 80HHA).
- (v) 50 per cent. of profits and gains from projects outside India subject to certain conditions (Section 80HHB).
- (vi) 100 per cent. of profits and gains derived from export of specified goods or merchandise if sale proceeds are receivable in convertible foreign exchange subject to certain conditions (Section 80HHC).
- (vii) Income of approved hotels or of travel agents or of tour operators for services provided to foreign tourists if receipts are in convertible foreign exchange to the extent of 50 per cent. of profits from such services plus balance of such profits of the relevant previous year as is debited to the profit and loss account and credited to a reserve account - subject to certain conditions and specified purposes (Section 80HHD).
- (viii) 20 per cent. of profits and gains from industrial undertakings set up after 31.3.1981 subject to certain conditions (Section 80I).
- (ix) Deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or ships or hotel business in certain cases (Section 80J).
- (x) 33-1/3 % of profits and gains derived from the business of poultry farming (Section 80JJ).
- (xi) 60 % deduction in respect of certain intercorporate dividends (Section 80M).
- (xii) Deduction in respect of royalty, etc. from certain foreign enterprises (Section 80-O).

6. The total income chargeable to tax (4-5) is to be given here.

7. Indicate thirty per cent of the Book Profit computed under section 115J as shown against item F5 at page 4

8. **INDICATE HERE THE TOTAL INCOME AS PER ITEM 6 OR 7 ABOVE WHICHEVER IS HIGHER IN VIEW OF PROVISIONS OF SECTION 115J**

9. Mention here the total income, as rounded off to the nearest multiple of ten rupees, both in figures and words in the manner provided.

10. Give details on a separate sheet if any income is chargeable to tax at a special rate e.g. under section 115BB in respect of winnings from lotteries etc. or at a maximum marginal rate under any other provision of the Act.

11. Income arising to other persons and included in the assessee's total income is to be given here.

Page-5

Part-II

STATEMENT OF TAXES

1. The total tax payable on the total income is to be given here.

2. Give here interests chargeable for late filing of return, default in payment of advance tax or deferment of advance tax separately. These should be computed in the manner laid down in sections 234A, 234B and 234C.

3. The total amount of tax and interest payable (1 + 2) is to be indicated here.

4. Give the particulars of (A) advance tax instalments and (B) tax deducted/collected at source in the respective columns provided for the purpose.

5. Give details of the tax and interest paid on self assessment (i.e. before filing the return) and also attach challan(s) in support of the amounts so paid.

6. Other pre-paid taxes, if any, are to be indicated here. Please attach proof of such payment.

7. The sum total of tax / Interest paid is to be given here (i.e.4+5+6).

8. The **NET TAX PAYABLE OR REFUNDABLE**, as the case may be, is to be indicated here. For indicating refund, precede it by a minus (-) symbol.

Part-III**A. INFORMATION RELEVANT TO BUSINESS OR PROFESSION**

1.
 - (a) Give full name(s) and address(es) in which the business/profession is carried on. If the space provided is insufficient, please mention such name(s) and address(es) on a separate sheet and attach that to the return.
 - (b) Give full name(s) and address(es) of the branch(es).
 - (c) In case of a business, please specify whether it is Trading/Manufacturing/Wholesale/Retail sale/Export/Import etc. and the main item(s) dealt with. If profession, mention the name of the profession.
 - (d) Please mention whether it is 'cost' or 'market price' or 'otherwise'. If 'otherwise' give its name and method.
 - (e) Give full name(s) and address(es) of Managing Director/Principal Officer/Secretary of the Company.

B. INFORMATION REGARDING TAX DEDUCTED / COLLECTED AT SOURCE BY THE COMPANY.

1. Indicate here the Tax Deduction Account Number of the assessee Company.
2. Give here the name of the TDS Circle with which return(s) regarding tax deducted/collected at source by it has been filed.
3.
 - (a) Tick the section (s) under which tax has been deducted/collected at source.
 - (b) Give here the amount (s) of tax deducted at source under the relevant section(s) during the period for which return of Income/loss is being filed by the assessee company.
 - (c) Give here the date (s) of filing of the prescribed return(s) of the tax deducted at source with the T.D.S. Circle.

Page-6

C. AMOUNT DEDUCTED IN COMPUTING INCOME FROM PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

I. Give here specific particulars of the deductions claimed in computing income from Profits and gains of Business or Profession. If a deduction in respect of Investment Deposit Account is claimed, please attach necessary certificate(s).

II. Please indicate in the space provided deduction claimed on account of Depreciation. Use the remaining space for indicating deductions admissible in relation to :

Item	Section	Item	Section
(i) Investment allowance	32A	(x) Amortization of preliminary expenses	35D
(ii) Investment Deposit Account	32AB	(xi) Expenditure on prospecting for certain minerals	35E
(iii) Development allowance	33A	(xii) Bonus to employees	36(1)(ii)
(iv) Tea Development allowance	33AB	(xiii) Interest on borrowed capital	36(1)(iii)
(v) Rehabilitation allowance	33B	(xiv) Bad debts	36(1)(vii)
(vi) Expenditure on scientific research	35	(xv) Entertainment expenditure	37
(vii) Expenditure on acquisition of patent rights or copyrights	35A	(xvi) Expenditure on:	
(viii) Expenditure on know-how	35AB	(a) advertisement	37
(ix) Payment to association and institution:		(b) travelling	37
(a) for carrying rural development programmes	35CCA		
(b) for carrying out programmes of conservation of natural resources	35CCB		

Part-IV**INCOME CLAIMED EXEMPT**

Income claimed exempt should be indicated here. For such item of income claimed exempt, please specify its nature, the amount claimed exempt and the reasons for the claim.

Part-V**LIST OF DOCUMENTS/STATEMENTS ATTACHED**

Give here complete particulars of documents/statements attached to the return of income.

VERIFICATION:

Read the instructions below the verification carefully before signing. It is to be signed by the person specified in section 140(c) of the Income-tax Act, 1961. Fill all the relevant columns in the verification. Give the place and date as indicated. Please attach the document of power of attorney alongwith the return, wherever necessary.

V. K. Saksena

(V. K. Saksena)

Under Secretary to the Government of India

No. 8766

No.

F No. 133/404/90-TPL

17CC

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii)
तारीख - 21-नवम्बर, 1990 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1990

अधिसूचना
आय-कर

का.आ. - (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (15वाँ संशोधन) नियम, 1990 है ।

(2) ये 14 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं० 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

आय विवरणी [नियम 12(1) (क) देखिए]

[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कंपनियों से भिन्न कंपनियों के लिए]

रसीद सं.

तारीख

[इस विवरणी को भरने से पहले कृपया संलग्न टिप्पण को ध्यानपूर्वक पढ़ें]

1. मूल/संशोधित/धारा 142 (1)(i)/148/237 के अधीन

2. निर्धारण वर्ष 19

3. यदि संशोधित विवरणी है तो मूल विवरणी फाइल करने की रसीद संख्यांक और तारीख

4. स्थायी लेखा संख्यांक/जी.आई.आर.सं.

वार्ड/

सर्किल/

रेज

5. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

*6. प्रास्थिति

7. निवास प्रास्थिति

8. कार्यालय का पता (स्पष्ट अक्षरों में)

टेलीफोन

पिन

9. कृपया उपदर्शित करें।

(क) क्या यह कंपनी का पहला निर्धारण है?

हाँ/नहीं

(घ) क्या कंपनी ने दोहरे कराधान से राहत का दावा किया है?

(ख) क्या कंपनी का धनकर के लिए निर्धारण किया गया है? हाँ/नहीं

(i) विदेशों से करार के अधीन

हाँ/नहीं

(ग) क्या प्रतिनिधि-निर्धारित के रूप में विवरणी दाखिल की जा रही है? हाँ/नहीं

(ii) उन देशों के संबंध में जिनके साथ कोई करार नहीं है हाँ/नहीं

देश का नाम

भाग I आय जिसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की आय भी है जो निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य है

क. गृह संपत्ति से आय

1. संपत्ति (सम्पत्तियों) का पता

2. वार्षिक भाटक मूल्य/वार्षिक किराया

3. कृषि

(क)

(ख)

4. मद 3 का योग

5. अतिशेष (2-4)

6. अन्य कटौतियाँ

(क) मरम्मत

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)

7. मद 6 का योग

8. गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अधीन प्रचार्य आय (5-7)

* टिप्पण में पृष्ठ 1 पर मद सं. 6 देखिए

ख. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ

1. कारबार या वृत्ति (सट्टे के कारबार से भिन्न)
लाभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध
लाभ/हानि

समायोजन

जोड़िए

कटौती कीजिए

3. समायोजनों का योग

4. उपर्युक्त 1 ± 3 के समायोजनों के बाद अतिशेष

5. रजिस्ट्रीकृत फर्म (फर्मों) के लाभ/हानि में अंश

6. लाभ/हानि में अंश अरजिस्ट्रीकृत फर्म

व्यक्तियों का संगम

व्यष्टियों का निकास

7. (सट्टे के कारबार से भिन्न) कारबार या वृत्ति से प्रभाय अग्य
(अर्थात् 4, 5 और 6 का परिणाम)

8. सट्टे का कारबार:
लाभ और हानि लेखा के अनुसार
शुद्ध लाभ/हानि

9. समायोजन

जोड़िए

घटाइए

10. समायोजनों का योग

11. सट्टे के कारबार से प्रभाय आय (8 ± 10)

12. कारबार या वृत्ति से शुद्ध प्रभाय आय (7+11)

ग. पूंजी अभिलाभ

अल्पकालिक आस्तियां

दीर्घकालिक आस्तियां

1. अंतरित आरित की विशिष्टियां				
2. अर्जन की तारीख				
3. अंतरण की तारीख				
4. अंतरण से पूर्व आरित कितने मास तक धरित की गई				
5. अंतरण का ढंग				
6. प्रतिफल का पूरा मूल्य	रु०	रु०	रु०	रु०
7. कटौतियां:				
(i) अर्जन की लागत	रु०	रु०	रु०	रु०
(ii) सुधार की लागत	रु०	रु०	रु०	रु०
(iii) अंतरण की लागत	रु०	रु०	रु०	रु०
8. कटौतियों का योग	रु०	रु०	रु०	रु०
9. अतिशेष (6-8)	रु०	रु०	रु०	रु०
10. घटाइए-अन्य कटौतों (कटौतियां)	रु०	रु०	रु०	रु०
11. अतिशेष (9-10)	रु०	रु०	रु०	रु०
12. जोड़िए/घटाइए:				
वह रकम जो पूंजी अभिलाभ (धारा 50 के अधीन से भित्र) समझी गई है। (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
(क)	रु०	रु०	रु०	रु०
(ख)	रु०	रु०	रु०	रु०
13. योग [12(क)+12(ख)]	रु०	रु०	रु०	रु०
14. योग [11±12]	रु०	रु०	रु०	रु०
15. धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ—				
16. पूंजी अभिलाभ की शुद्ध रकम:	15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 31/3 तक	
धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	रु०	रु०	रु०	
अन्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	रु०	रु०	रु०	
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	रु०	रु०	रु०	
योग	रु०	रु०	रु०	

कुल योग

घ. अन्य स्रोतों से आय

1. (क) लाभांश	रु०	
(ख) ब्याज	रु०	
(ग) लाटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़ आदि से जीत	रु०	
(घ) मशीनरी, संयंत्र, भवन आदि से प्राप्त किराए की आय	रु०	
(ङ) अन्य	रु०	
2. 1 (क) से 1 (ङ) तक का योग		रु०
3. घटाइए: कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) अवक्षयण	रु०	
	रु०	
4. कटौतियों का योग		रु०
5. अन्य स्रोतों से शुद्ध प्रभार्य आय (2-4)		रु०

चतुर्थ वर्ष की आय से	उपदर्शित करें कि वे	उपदर्शित करें
मुद्रा की ज़ानेवाली	निर्धारित है या पिछली	कि क्या वहाँ
राज/राशियां (रु०)	विवरण के अनुसार है	करवाया चलता
		रहा है
		(हाँ/नहीं)

च. धारा 115ज के अधीन बही लाभ का 30%

- यही लाभ

(पद ६)

- (मद च. ९)

4

भाग—II करों का विवरण

1. कुल आय पर कर (क) विशेष दरों से _____ रु०
(ख) सामान्य दरों से _____ रु०
2. जोड़िए:
(क) बिलेय से विवरणी फाइल करने पर _____ रु०
(ख) अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम पर व्याज _____ रु०
(ग) अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज _____ रु०
3. संदेय कुल कर और व्याज (1+2)
4. पूर्व संदेय कर (क) अग्रिम कर की किश्तें (चालान संलग्न कीजिए)
पहली _____ दूसरी _____ तीसरी _____

योग: _____ रु०

योग: _____ रु०
_____ रु०

योग

रकम (रु०)

तारीख

बैंक का नाम

शाखा

(ख) स्रोत पर कटौती/संग्रहीत किया गया कर [प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए]

- (क) व्याज _____ रु०
- (ख) लाभाना _____ रु०
- (ग) धारा 206 ग के अधीन _____ रु०
- (घ) कोई अन्य मद (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____ रु०
- (ङ) योग [(क) से (घ)] _____ रु०

5. स्वतः निर्धारण पर कर (चालान संलग्न कीजिए)

रकम

संदाय की तारीख

____ - ____ 19 ____

आयकर

उपयुक्त 2 के अनुसार
व्याज

योग

रु०

रु०

रु०

6. अन्य पूर्व संदेयकर, यदि कोई हों
7. योग (4 से 6)
8. संदेय या प्रतिदेय शुद्ध कर (3 और 7 का अंतर)

भाग-III क. कारबार या वृत्ति से सुसंगत जानकारी

1. सामान्य विवरणियाँ :

(क) जिस नाम से कारबार या वृत्ति चलाई जाती है।

(ख) शाखा / शाखाओं के नाम और पता / पते

(ग) कारबार या वृत्ति की प्रकृति

(घ) स्टॉक मूल्यांकन की पद्धति

(ङ) कंपनी के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम और पते
प्रबंध निदेशक

प्रधान अधिकारी

सचिव

ख. कंपनी द्वारा स्रोत पर कटौती/संग्रहीत किए गए कर के संबंध में सूचना

1. कंपनी के कर-कटौती लेखा संख्या

2. टी.डी.एस. सॉलिट का नाम जिसमें विवरणी फाइल की गई है

3	(क) वह धारा जिस के अधीन	192	193	194	194क	194ख	194ग	194घ	194ङ	195	206ग
(ख) कर की गई रकम (रु०)											
(ग) विहित विवरणी फाइल करने की तारीख											

ग. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय की संगणना में कटौती की जाने वाली रकम

विशिष्टता	रकम (रु०)	विशिष्टता	रकम (रु०)
(क) अवक्षयण		(छ)	
(ख)		(ज)	
(ग)		(झ)	
(घ)		(ञ)	
(ङ)		(ट)	
(च)		(ठ)	

भाग IV -आय जिसके लिए छूट का दावा किया गया है

आय की प्रकृति	रकम (रु०)	दावे के लिए कारण
(क)		
(ख)		
(ग)		
(घ)		
(ङ)		

भाग V संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की सूची

(क)	(च)
(ख)	(छ)
(ग)	(ज)
(घ)	(झ)
(ङ)	(ञ)
	(ट)

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) जो
का पुत्र/की पुत्री/पत्नी और* का हूँ।
(कंपनी का नाम) (पदनाम)

..... से विधिमानीय मुख्तारनामा धारण करता हूँ, सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि इस विवरणी और इससे संलग्न उपबन्धों और
(कंपनी का नाम)
विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियों का
उल्लेख सही-सही किया गया है और ये निर्धारण वर्ष 19 से सुसंगत पूर्व वर्ष (वर्षों) के संबंध में है।

*मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि उक्त पूर्व वर्ष (वर्षों) के दौरान:-

(क) कंपनी की उसके नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धारित किसी आस्ति से कोई अन्य आय न तो प्रोद्भूत हुई है, न उद्भूत हुई है और
न प्राप्त हुई है;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आय सहित ऐसी कोई अन्य आय नहीं है जिसकी बाबत कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर प्रभार्य है।

*मैं सत्यनिष्ठा से यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त पूर्व वर्ष (वर्षों) के दौरान:-

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी कुल आय के संबंध में कंपनी निर्धारणीय है, उस व्यक्ति के, जिसकी कुल आय के संबंध में कंपनी निर्धारणीय है,
नाम में, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धारित किसी आस्ति से, कोई अन्य आय न तो प्रोद्भूत हुई है, न उद्भूत हुई और न प्राप्त हुई है;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आय सहित ऐसी कोई अन्य आय नहीं है जिसकी बाबत उस व्यक्ति पर, जिसकी कुल आय की बाबत कंपनी
निर्धारणीय है, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर प्रभार्य है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं

(पदनाम)

की हैसियत में कंपनी की ओर से विवरणी तैयार करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

**हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

* जो लागू न हो उसको काट दीजिए।

** घोषणा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण सही और
सभी प्रकार से पूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस विवरणी या इससे संलग्न उपाबंध या विवरणों में कोई मिथ्या कथन करेगा, आयकर अधिनियम, 1961
की धारा 277 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोष सिद्धि पर उस धारा के अधीन कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

टिप्पण

[आयकर अधिनियम, 1961/नियम 12(1)(क)]

(निर्धारित द्वारा अलग कर लिया जाए और रख लिया जाए)

सुसंगत शीर्ष के अधीन उपबंधित सूचकों में उपदर्शित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इन सूचकों में

सामान्य

- प्ररूप सं० 1, धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों के लिए है।
- सभी भाग और स्तंभ इसके नीचे उपबंधित रीति से भरे जाने चाहिए। यदि कोई भाग या स्तंभ लागू न हो तो कृपया 'लागू नहीं होता' उल्लिखित करें और कोई अन्य चिन्ह या प्रतीक न लगाएं।
- इन टिप्पणों में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे जो संख्यांक दिए गए हैं वे आय की विवरणों के संबंधित पृष्ठों पर तत्स्थानी मद संख्यांक को निर्दिष्ट करते हैं।
- यदि किसी आय शीर्ष के अंतर्गत दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है तो विवरणी प्ररूप में सुसंगत आय शीर्ष के अंतर्गत इस प्रयोजन से दिए गए स्थानों का प्रयोग करते हुए, ऐसे प्रत्येक आय स्रोत के बारे में संगणना अलग कागज या कागजों पर प्रत्येक कागज पर संगणना की राशि का योग विवरणी प्ररूप में दर्ज किया जा सकता है।
- इन टिप्पणों में धाराओं और नियमों के जो निर्देश हैं वे क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 की धाराओं और नियमों के प्रति निर्देश हैं।

पृष्ठ 1

- जो लागू न हो उसे काट दें। यदि यह विवरणी निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए है और पहला बार फाइल की जा रही है तो यह मूल विवरणी है। यह उपदर्शित करने के लिए 'मूल' को छोड़ दें और बाकी काट दें, जैसे—
मूल/संशोधित/धारा 142(1) (2)/148/237 के अधीन इस प्रकार धारा 142(1)(i) के अधीन निकाली गई सूचना के जवाब में फाइल की जा रही विवरणी उपदर्शित करने के लिए 'मूल' और धारा 142(1)(i) के अधीन को छोड़ दें और बाकी को काट दें।
- वह निर्धारण वर्ष उपदर्शित करें जिसके लिए विवरणी फाइल की गई है। (निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष के ठीक पश्चात् के बारह मास की अवधि का है। इस प्रकार 1.4.1989 से 31.3.1990 की अवधि के लिए निर्धारण वर्ष 1990-91 होगा।
- यदि यह संशोधित विवरणी है तो, पहले मूल विवरणी की रसीद संख्या दें और तब उसे फाइल करने की तारीख। उदाहरणार्थ: यदि मूल विवरणी 15.6.1990 को फाइल की गई है और उसके लिए विभाग ने रसीद सं 4210 जारी की है तो उसे खानों में इस प्रकार उपदर्शित किया जाएगा—

4	2	1	0	15	—	0	6	—	1	9	9	0
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

- करदाता को दिए गए स्थायी लेखा संख्या और वार्ड/सर्किल/रेंज को यहाँ लिखा जाना चाहिए। यदि यह इस प्रकार अभी नहीं दिया गया है तो जो आई.आर. संख्यांक यदि कोई हो, उपदर्शित करें। यदि दोनों नहीं दिए गए हैं, तो निम्न खानों की पहली पंक्ति में 'नहीं दिया गया' लिखें—और आय-कर कार्यालय के जन-संपर्क अधिकारी से या प्राप्ति काउंटर से सुनिश्चित करने के पश्चात् खानों की निचली पंक्ति में, जो निर्धारित या निर्धारणीय है उस आय-कर वार्ड/सर्किल/रेंज का उल्लेख करें।
- कम्पनी का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। प्रत्येक वाक्य खण्ड के पश्चात् एक खाना खाली छोड़ दें। उदाहरणार्थ—गोल्डेन सिनैटिक्स लिमिटेड

गो	ल्डे	न	सि	न्य	टि	क्स	लि	मि	टे	ड
----	------	---	----	-----	----	-----	----	----	----	---

- प्रास्थिति सूचित करने के लिए कृपया निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग करें—
— देशी कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है 12
— कोई देशी कम्पनी जो ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और जो व्यापारी कम्पनी या विनिधान कम्पनी नहीं है 13
— कोई देशी कम्पनी जो व्यापारी कम्पनी या विनिधान कम्पनी है और वह ऐसी कम्पनी भी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध नहीं है। 14
— देशी कम्पनी से भिन्न कोई कम्पनी। 15

उदाहरण: यदि देशी कम्पनी का मामला है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, सही कोड संख्या 12 होगी।

- निवास प्रास्थिति उपदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी कोड का प्रयोग करें।
निवासी .. 01
अनिवासी .. 02
सुसंगत उपबंध धारा 6 में है।
- पिन कोड और दूरभाष संख्यांक सहित यदि कोई हो, पूरा पता लिखें।
- जो लागू न हो उसे काट दें।

क. गृह सम्पत्ति से आय

1. कृपया संपत्ति (संपत्तियों) का डाक का पूरा पता दीजिए। यदि निर्धारित एक से अधिक संपत्तियों का स्वामी है तो कृपया उसका एक अलग कागज पर उल्लेख कीजिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कीजिए।
2. यहां वार्षिक भाटक मूल्य या प्राप्त/प्राप्य वार्षिक किराया, इनमें से जो भी अधिक हो, उपदर्शित करें। यदि आप एक से अधिक गृह संपत्ति के स्वामी हैं, यहां उपदर्शित स्तंभों को प्रयोग करते हुए कृपया ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में पृथक संगणना दें।
3. यहां धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों का दावा कीजिए, जैसे:

(क) नगर पालिका कर-निर्धारित कटौती का तभी दावा करें जब वे (i) उसके द्वारा वहन किए जाते हैं, किराएदार द्वारा नहीं, और (ii) वर्ष के दौरान संदत्त किए गए हैं। कृपया ऐसे संदाय का सबूत संलग्न करें।

(ख) नव संनिर्माण मोक/सुसंगत उपबंध धारा 23(1) के दूसरे परंतुक में दिए गए हैं। कटौती की प्रत्येक मद, तद्धीन ~~अधीन~~ दावा की गई कटौती-योग्य रकम सहित अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें।

4. यहां धारा 23 के अधीन दावा की गई कटौती की कुल राशि उपदर्शित की जानी है।

5. यहां अतिशेष उपदर्शित करें (अर्थात् 2-4)

6. यहां धारा 24 के अधीन कटौतियां उपदर्शित करें (प्रत्येक मद अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें) जैसे

(i) मरम्मत — निर्धारित वार्षिक मूल्य के ध्वंश का मरम्मत के रूप में हकदार है, यदि उसे किराएदार द्वारा वहन नहीं किया जाता है — धारा 24(1)(i)

(ii) बीमा — धारा 24(1)(ii)

(iii) वार्षिक प्रभार — धारा 24(1)(iv)

(iv) भूमि का किराया — धारा 24(1)(v)

(v) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज — धारा 24(1)(vi)

(vi) भू-राजस्व — धारा 24(1)(vii)

(vii) संग्रहण प्रभार — (अनुज्ञेय परिसीमा, वास्तविक व्यय या वार्षिक भाटक मूल्य का .6 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो) — धारा 24(1)(viii)

(viii) रिक्त रहने का भत्ता — धारा 24(1)(ix)

(ix) किराया जो वसूल नहीं किया जा सकता — धारा 24(1)(x)

7. यहां धारा 24 के अधीन दावा की गई कटौती की कुल राशि उपदर्शित की जानी है।

8. यहां 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन प्रभाव्य शुद्ध आय (अर्थात् 5-7) उपदर्शित की जानी है।

पृष्ठ 2

ख — कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ

1. कारबार या वृत्ति (स्ट्रे के कारबार से भिन्न) कृपया आय की संगणना से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों/जानकारी विवरणी के साथ प्रस्तुत कीजिए :—

I. विनिर्माण लेखा, व्यापार लेखा, लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र को लेखा-संपरीक्षित प्रतिमां और (यदि लागू) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट।

II. (क) (i) यदि लेखाओं की संपरीक्षा धारा 44कख के अधीन की जाती है तो अपेक्षित विशिष्टियों सहित ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट।

(ii) यदि निर्धारित ने धारा 32कख, 33कख, 80जजक, 80जजग या 80जजघ के अधीन कटौती का दावा किया है तो ऐसी कटौती/कटौतियों के बाबत, अपेक्षित विशिष्टियों सहित लेखाओं की रिपोर्ट (रिपोर्टें)। (की)

(ख) यदि धारा 44कग, 44ख, 44खख, 44खखक और 44खखख के उपबंध लागू होते हैं, तो उनकी बाबत ब्यौरे दीजिए।

III. संविदा कार्य में लगे निर्धारित द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी: यदि उस व्यक्ति द्वारा दी जानेवाली सामग्री का मूल्य, जिसके साथ संविदा की गई है या जिसके द्वारा प्रतिधारित प्रतिभूति निक्षेप की रकम को (किए गए काम के लिए देय/संदेय में से) दर्शित सकल प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो कृपया सामग्री का मूल्य और प्रतिभूति निक्षेप की रकम दर्शित करने वाला विवरण संलग्न करें।

IV. चलचित्र फिल्मों के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी: कृपया यह उपदर्शित करें कि क्या चलचित्र फिल्मों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों को संदाय का ब्यौरा धारा 285ख के अधीन संबद्ध निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

- V. किसी व्यापारी, दलाल, अभिकर्ता या स्टाक या एक्सचेंज के प्रबंध से संबंधित कोई व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते का विवरण देगा जिन्हें उसने या एक्सचेंज ने पूर्व वर्ष में कोई राशि या संकलित राशियां संदत्त की हैं:
- (क) अन्तर के रूप में 2,000/- रुपये से अधिक;
- (ख) आस्तियों के अन्तरण के संबंध में 10,000/- रुपये से अधिक, चाहे वे आस्तियों के विक्रय, विनिमय या अन्यथा किसी के रूप में हो या जिसकी ओर से या जिससे उसने या एक्सचेंज ने कोई राशि प्राप्त की है, विशिष्टियों सहित (ऐसे संदायों और प्राप्तियों की रकम, तारीख आदि)।

- VI. यदि निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान किराया, कमीशन, रायल्टी या दलाली या वार्षिकी का (जो 'वेतन' शीर्ष के अधीन निर्धारण योग्य वार्षिकी नहीं है) और जो एक हजार रुपये से अधिक है, संदाय किया है तो पाने वालों के नाम और पते तथा संदत्त रकम दर्शित करते हुए (संदाय की प्रकृति के अनुसार) विवरणी के साथ एक अलग कागज पर अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पाने वाला व्यक्ति अनिवासी है तो यह उपदर्शित किया जाना चाहिए कि क्या कर की श्रोत पर कटौती की गई है और उसे केन्द्रीय सरकार के नाम जमा कराने के लिए संदत्त किया गया है या नहीं। कृपया 10,000/- रुपये से अधिक मूल्य के विक्रय और क्रय के मामलों में व्यक्तियों के नाम और सकल रकमों को अन्तर्विष्ट करने वाला विवरण भी संलग्न करें।

लाभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ/हानि

यहां कारबार/वृत्ति (सट्टे के कारबार से भिन्न) से लाभ और हानि लेखा के अनुसार लाभ/हानि का उल्लेख कीजिए। जहां निर्धारिती का एक से अधिक कारबार या वृत्ति है, या किसी बन्द कर दिए गए कारबार/वृत्ति से हुई या समझी गई आय है ~~का-आय~~ है, वहां ऐसे प्रत्येक कारबार/वृत्ति के लिए संगणना (इस उपभाग में दिए गए उसी प्ररूप का प्रयोग करते हुए), अलग कागज पर दी जानी चाहिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

2. समायोजन:

क. कृपया ऐसी रकमों के परिवर्धन और कटौतियों को उपदर्शित कीजिए जिन्हें धारा 28 से 44 तक के अनुसार लाभ/हानि लेखा में समायोजित नहीं किया गया है।

ख. कृपया विवरणी के साथ निम्नलिखित भी प्रस्तुत करें:

1. अवक्षयण भोक के संबंध में विशिष्टियां:

(क) आस्तियों के प्रत्येक ब्लाक की बाबत:

(i) पूर्व वर्ष के आरम्भ में उन आस्तियों का वर्णन जो ब्लाक का भाग हैं, उनका अवलिखित मूल्य, वर्ष के दौरान क्रय की गई आस्तियों का वर्णन और लागत तथा वर्ष के दौरान विक्रय की गई किसी आस्ति का वर्णन और विक्रय कीमत;

(ii) वर्ष के अन्त में अवलिखित मूल्य;

(iii) वह दर जिस पर अवक्षयण का दावा किया गया है और अवक्षयण की रकम।

(ख) उन आस्तियों का विवरण जो आस्तियों के ब्लाक का भाग हैं और वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अवक्षयण के लिए पात्र हैं। कृपया यह भी उल्लेख कीजिए कि क्या इन आस्तियों में से किसी का वर्ष के दौरान विक्रय किया गया था और यदि ऐसा है तो ऐसी प्रत्येक आस्ति की बाबत विक्रय कीमत का अलग-अलग ब्यौरा दीजिए।

(ग) उन आस्तियों का विवरण जो आस्तियों के ब्लाक का भाग हैं, जो विद्यमान हैं किन्तु जिनका अवलिखित मूल्य घटा कर शून्य कर दिया गया है क्योंकि किसी ऐसी आस्ति के अंतरण पर, जो ब्लाक का भाग है, वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिफल का कुल मूल्य, वर्ष के दौरान खरीदी गई उस ब्लाक की किसी आस्ति की लागत सहित वर्ष के आरम्भ में उक्त ब्लाक के अवलिखित मूल्य से अधिक है।

II. विनिधान भत्ता, विनिधान निक्षेप लेखा की बाबत विशिष्टियां :

(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए ऐसे पोत या वायुयान या प्लॉट या मशीनरी का ब्यौरा जिसकी बाबत विनिधान भोक का दावा किया गया है और उसकी दर (आस्ति के अर्जन के समर्थन में सबूत भी संलग्न कीजिए)।

(ख) विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम, 1986 के अनुसार विकास बैंक में किए गए निक्षेप (निक्षेपों) का ब्यौरा। [धारा 32कख(1)(क)] निक्षेप (निक्षेपों) का सबूत संलग्न कीजिए।]

(ग) ऐसे पोत या वायुयान या प्लॉट या मशीनरी का ब्यौरा जिसकी बाबत विनिधान निक्षेप लेखा के अधीन कटौती का दावा किया गया है। [धारा 32कख(1)(ख)] (क्रय के समर्थन में सबूत संलग्न कीजिए)।

(घ) विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम, 1986 या विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम 1986 (चाय) के अनुसार निकाली गई रकम से खरीदी गई आस्ति का ब्यौरा [नई आस्ति के क्रय, यथास्थिति, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से निकाली गई रकमों और निकाले जाने की तारीख (तारीखों) से संबंधित सबूत संलग्न कीजिए।]

(ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से निकाली गई रकम (रकमों) में से विनिधान निक्षेप लेखा स्कीम, 1986 (चाय) के अनुसार उपगत व्यय का, रकम का विभाजन और निकाली गई रकम (रकमों) की तारीख (तारीखें) देते हुए, ब्यौरा।

- जोड़िए और कटौती कीजिए वाले स्तंभों के नीचे समायोजनों की संकलित रकम अलग-अलग उपदर्शित कीजिए।
- 4 शुद्ध लाभ/हानि (अर्थात् 1 और 3 के समायोजनों के पश्चात् अतिशेष) यहां उपदर्शित किया जाना चाहिए।
- 5 रजिस्ट्रीकृत फर्म (फर्मों) के लाभ/हानि में अंश — स्थान एक फर्म से प्राप्त होनेवाले अंश को उपदर्शित करने के लिए है। यदि निर्धारित एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत फर्मों में भागीदार है तो यहां उपदर्शित इन्हीं स्तंभों का उपयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत फर्मों के लाभ/हानि में ऐसे अंश का अलग-अलग उल्लेख कीजिए और उसे विवरणी के साथ लगाइए। कृपया फर्म (फर्मों) में वैयक्तिक लेखा लेखाओं की प्रति (प्रतियों) को भी संलग्न कीजिए। धारा 67 के उपबंधों के अनुसार 'रजिस्ट्रीकृत फर्म (फर्मों) के लाभ-हानि में अंश' के शीर्ष के अनुसार ब्यौरे भी कृपया संलग्न करें।
6. I. कृपया यहां दिए गए स्थान में अलग-अलग अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के लाभ या हानि में अंश का उल्लेख कीजिए और इन सभी का कुल जोड़ बाहरी स्तंभ में ले जाएं (जो लागू न हो उसे कोट दीजिए)। यदि दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो अलग कागज का उपयोग कीजिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कीजिए। यदि ऐसी आय यहां निर्धारित की आय में अर्थात्, धारा 86(v) के परन्तुक खण्ड (क) में आने वाली आय शामिल नहीं की गई है तो उसके ब्यौरे और उसे शामिल न किए जाने के कारण एक अलग कागज में लिखकर विवरणी के साथ संलग्न कर देना चाहिए। यह और कि यह भी किया जाना चाहिए कि उक्त अंश कुल आय में केवल कर के प्रयोजनों के लिये या अन्यथा सम्मिलित किये जाने के लिये है। यदि कोई नुकसान है तो कृपया धारा 77(2) के अन्तर्गत आने वाला नुकसानों को अपवर्जित कीजिये।
- II. निर्धारित की विवरणी के साथ निम्नलिखित भी प्रस्तुत करने चाहिए:—
- (i) यदि किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म का भागीदार या किसी व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय का सदस्य हो तो ऐसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय में उसका/उसके वैयक्तिक लेखा (लेखे);
- (ii) बंद किए गए कारबार/वृत्ति से संबंधित पूरा ब्यौरा अलग कागज पर,
- (iii) धारा 32क/32ख/33क/80जघ(5) के अधीन उसकी आय समझी जानेवाली रकम (रकमों) का ब्यौरा।
- (iv) यदि किसी निर्धारित ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 2(24)(x) में विनिर्दिष्ट किसी निधि के अभिदाय के रूप में किसी कर्मचारी से ऐसी आय प्राप्त की है जो "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभावित है तो ऐसी आय और इसके साथ-साथ धारा 36(1)(vक) में उल्लिखित नियत तारीख को या उसके पूर्व, सुसंगत निधियों में कर्मचारी के लेखा में निर्धारित द्वारा जमा की गई राशियों का ब्यौरा।
- III. यदि दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो ब्यौरा अलग कागज पर दीजिए और उसे विवरणी के साथ लगाइए।
7. यहां 4, 5 और 6 का परिणाम [अर्थात् (सट्टे के कारबार से भिन्न) कारबार/वृत्ति से परिणामी आय/हानि] उपदर्शित कीजिए।
8. सट्टे के कारबार से आय की रकम का उल्लेख कीजिए। यदि यह रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के अंश को प्रकट करती है तो उसका सट्टे उल्लेख किया जाना चाहिए और ऐसी रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय का पूर्ण ब्यौरा, जैसे भागीदारों/सदस्यों के नाम, उनके लाभ बांटने के अनुपात और ऐसी रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय में निर्धारित की वैयक्तिक खाते की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए और विवरणी के साथ लगाई जानी चाहिए।
9. समायोजन: कृपया उन रकमों के परिवर्धन और कटौतियों को उपदर्शित कीजिए जिन्हें या तो लाभ/हानि खाते में समायोजित नहीं किया गया है, या यदि समायोजित किया गया है तो वे अनुज्ञेय रकमों से अधिक या कम हैं। उन परिवर्धनों और कटौतियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिनकी बाबत निर्धारित रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के लाभ/हानि में अंश के संबंध में दायित्वाधीन है/उसका हकदार है और जिसका ऐसी रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय के मामले में पहले समायोजन नहीं किया गया है।
10. 'जोड़िए' और 'कटौती कीजिए' स्तंभों के नीचे समायोजनों की कुल रकम अलग-अलग उपदर्शित की जानी चाहिए।
11. यहां 'सट्टे के कारबार से प्रभावित आय' (अर्थात् 8 और 10 का समायोजित अतिशेष) उपदर्शित कीजिए।
12. 'कारबार या वृत्ति से शुद्ध प्रभावित आय' (अर्थात् 7 + 11) यहां उपदर्शित कीजिए। यदि 11 की रकम हानि की है, और उसे 7 के प्रति समायोजित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी दशा में 7 की रकम 12 के सामने उपदर्शित की जानी चाहिए।

पृष्ठ 3

ग-पूँजी अभिलाभ

- अन्तरित आस्तियों का विवरण दें। अल्पकालिक और दीर्घकालिक आस्तियों के लिए पृथक स्तंभ दिए गए हैं। अनुसार अन्तरित आस्तियों की विशिष्टियां संबंधित स्तंभों में दी जाएं। यदि अन्तरण में दो से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्तियां अंतर्वर्तित हों तो पृथक संगणना पत्रा, दिए गए फार्म में, विवरणी के साथ संलग्न करें।
- यहां पर निर्धारित द्वारा आस्ति के अर्जन की तारीख, जहां लागू हो, उपदर्शित करें।
- यहां वह तारीख लिखें जिसको आस्ति अन्तरित की गई है।
- अन्तरण से पूर्व निर्धारित द्वारा आस्ति-धारण की अवधि मासों में कृपया यहां उपदर्शित करें।
- यहां पर कृपया उपदर्शित करें कि निम्नलिखित में से अन्तरण का कौन सा ढंग अपनाया गया है:—
 - आस्ति का विक्रय, विनिमय या त्याग; या
 - उसमें के किन्हीं अधिकारों का निर्वहन; या
 - किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन; या
 - किसी ऐसी दशा में जहां आस्ति उसके स्वामी द्वारा अपने द्वारा चलाए जानेवाले किसी कारबार के व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की जाती है या उसके द्वारा उस रूप में मानी जाती है वहां ऐसा संपरिवर्तन या माना जाना; या
 - कोई संव्यवहार जिसमें संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53 क में निरिष्ट प्रकृत की संविदा के भागिक पालन में किसी स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लेने या रखे रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है; या
 - कोई संव्यवहार (चाहे वह किसी सहकारी सोसाइटी, कंपनी या अन्य व्यक्ति-संगम का सदस्य बनने के रूप में हो या उसमें शेयरों के अर्जन के रूप में हो अथवा किसी भी अन्य रीति से हो) जिसका प्रभाव किसी स्थावर संपत्ति का अन्तरण है या उसके उपभोग के लिए समर्थ बनाया जाना है।

अनिवार्य अर्जन की स्थिति में कृपया एक अलग कागज पर उस अधिनियम का उल्लेख करें जिसके अधीन अर्जन किया गया है। अधिसूचना और कब्जे की तारीखें भी लिखें।

यहां वह सकल रकम, जो आस्ति के अन्तरण से वसूल की गई है/वसूली योग्य है, उपदर्शित की जानी है।

कृपया यहां उपदर्शित करें—

(i) अर्जन की लागत : यह निर्धारित द्वारा आस्ति के अर्जन में उपगत लागत है या धारा 49 और 55(2) के निबन्धनों के अनुसार लागत।

(ii) सुधार की लागत : 'गुडविल' के संबंध में यह ~~यह~~ है जबकि अन्य आस्तियों के संबंध में यह आस्ति के सुधार में उपगत लागत है—धारा 55(1)(ख)

(iii) अन्तरण की लागत : यह अन्तरण के संबंध में लागत है—धारा 48(1)(क)(i)

8. यहां 7 की कटौतियों की कुल राशि उपदर्शित करें।

9. यहां अतिशेष रकम (6-8) उपदर्शित करें। यदि इसका परिणाम हानि हो तो उसे (-) ऋण चिह्न द्वारा उपदर्शित करें।

10. अन्य कटौतियां — यहां अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में अनुज्ञेय कटौतियां अलग-अलग उपदर्शित की जाएगी। कृपया प्रत्येक मद, उसके अधीन कटौती योग्य रकम सहित विनिर्दिष्ट करें। यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग पत्र का प्रयोग करें। यदि 9 में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति की वास्तविक अतिशेष हानि है तो हानि की राशि धारा 48 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार निकालनी चाहिए। अनुज्ञेय कटौतियां निम्नलिखित हैं—

I. अल्पकालिक पूंजी अभिलाभः

(i) धारा 54ख(1), 54घ(1) या 54छ(1) के अधीन छूट प्राप्त रकम

(ii) वह रकम जो धारा 54ख(2), 54घ(2) या 54छ(2) के अधीन जमा की गई है।

II. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभः

(i) वह रकम जो धारा 54ख(1), 54घ(1), या 54छ(1) के अधीन छूट प्राप्त है।

(ii) वह रकम जो धारा 54ख(2), 54घ(2), 54ड(1), या 54छ(2) के अधीन जमा की गई है।

(iii) धारा 48(2) के अधीन।

11. कृपया यहां अतिशेष रकम (9-10) उपदर्शित करें। यदि 9 का अतिशेष हानि है, तो उसे यहां दोहराया जाए।

12. यहां 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन (धारा 50 के अधीन से भिन्न) समझी गई आय उपदर्शित की जानी है। कृपया प्रत्येक मद, उसके अधीन सम्मिलित किए जाने योग्य रकम सहित अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें। ऐसी समझी गई आय से संबंधित सुसंगत उपबंध धारा 45(2)/(3)/(4)/(5), 54ख(2), 54घ(2), 54ड(2) और 54छ(2) में दिए गए हैं।

13. यहां पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल रकम (धारा 50 के अधीन से भिन्न) उपदर्शित की जानी है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक आस्तियों के संबंध में अलग-अलग उपदर्शित की जाए।

14. यहां अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के लिए 11 और 13 के शुद्ध परिणाम अलग-अलग उपदर्शित करें।

15. यहां पर धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ उपदर्शित करें। इसके संबंध में सुसंगत ब्यौरे अलग पत्र पर लिखने चाहिए और उसे विवरणी के साथ संलग्न कर देना चाहिए।

16. धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन अन्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ/हानियां की अवधिवार शुद्ध रकम अन्दरी स्तंभों में उपदर्शित की जानी चाहिए और इनकी संकलित राशि कुल जोड़ में उपदर्शित की जानी चाहिए।

घ. अन्य स्रोतों से आय

1. (क) कृपया लाभांश की सकल रकम उल्लिखित करें। निम्नलिखित जानकारी देते हुए पृथक पत्रा संलग्न करें:—

(i) कम्पनी का नाम

(ii) शेयरों की संख्या

(iii) लाभांश की सकल रकम

(iv) स्रोत पर काटा गया कर

यदि निर्धारित ने धारा 2(22)(ग) के अधीन उल्लिखित प्रकृति की कोई राशि प्राप्त की है और जो लाभांश समझी गई है तो कम्पनी का नाम और पता, प्राप्त संदाय की प्रकृति और इस प्रकार प्राप्त राशि बताते हुए विवरण प्रस्तुत करें। कृपया लाभांश अधिपत्र तथा अन्य समर्थक साक्ष्य संलग्न करें।

(ख) कृपया प्राप्त किए गए/प्राप्य ब्याज की सकल रकम को उल्लिखित करें। प्राप्त किया गया/प्राप्य ब्याज की प्रत्येक मद के संबंध में जानकारी देते हुए पृथक पत्रा संलग्न करें और समर्थक साक्ष्य संलग्न करें।

(ग) यहां लाटरी, वर्ग पहली और दौड़ आदि से हुई जीत की सकल रकम लिखें और यदि दो या दो से अधिक मदें हों तो पृथक संगणना संलग्न करें और समर्थक साक्ष्य संलग्न करें।

(घ) यहां मशीनों, संयंत्र या फर्नीचर और भवन को भी किराए पर दिये जाने से प्राप्त आय उपदर्शित करें यदि यह 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय कर प्रभार्य नहीं है।

(ङ) 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य अन्य आय विनिर्दिष्ट करें।

2. यहां सकल प्राप्तियों की कुल राशि उपदर्शित की जानी है।

3. मदों के अधीन दावा की गई कटौतियों की मदें और रकमें विनिर्दिष्ट करें। सुसंगत उपबंध धारा 57 में हैं।

4. यहां दावा की गई कटौतियों का योग उपदर्शित करें।
5. यहां 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य शुद्ध आय उपदर्शित की जानी है।

पृष्ठ 4

इ. पूर्व वर्षों से अग्रणीत अनामेलित हानियां या मोक

1. यहां पर पूर्व वर्षों से अग्रणीत अनामेलित हानियां या मोक के ब्यौरे दीजिए। यदि दिया गया स्थान कम है, तो पृथक पन्ने पर, यहां उपदर्शित स्तंभों का प्रयोग करते हुए ब्यौरे दीजिए और उसे विवरणों के साथ संलग्न कर दीजिए।
यदि अग्रणीत हानियां/मोकों और चालू अवक्षयण को अवशोषित करने के लिए लाभ पर्याप्त नहीं हैं, तो उच्चतम न्यायालय के नवीनतम विनिश्चयों के अधीन रहते हुए उनके लिए कटौती निम्नलिखित क्रम से की जानी चाहिए:—

- चालू वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय [धारा 35(1)]
- चालू अवक्षयण [धारा 32(1)]
- अग्रणीत कारबार हानियां [धारा 72(1)]
- अनामेलित परिवार कल्याण संवर्धन पूंजीगत व्यय [धारा 36(1)(ix)]
- अनामेलित अवक्षयण [धारा 32(2)]
- अनामेलित वैज्ञानिक अनुसंधान पूंजीगत व्यय [धारा 35(4)]
- अनामेलित विकास मोक [धारा 33क(2)(ii)]
- चालू विकास मोक [धारा 33क(2)(i)]
- अनामेलित विनिधान मोक [धारा 32क(3)(ii)]
- चालू विनिधान मोक [धारा 32क(3)(i)]

2. यहां निर्धारण वर्ष 1982-83 से पूर्व की अवधि से संबंधित अनामेलित अवक्षयण उपदर्शित करें।

च. धारा 115ज के अधीन बही-लाभ का 30 प्रतिशत

1. यहां पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की छठी अनुसूची के भाग II और भाग III के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेख में दिखाया गया शुद्ध लाभ उपदर्शित किया जाए।

समायोजन :—

(क) कृपया निम्नलिखित राशियां जोड़ें—

(रकम)

- (i) संदेत या संदेय आयकर की रकम या उसके लिए व्यवस्था;
- (ii) आरक्षितियों (धारा 80जजघ या धारा 33कग की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट आरक्षित से भिन्न) में ले जाई गई रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों;
- (iii) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को चुकाने के लिए व्यवस्था के रूप में असंग रखी गई रकम;
- (iv) समनुषंगी कम्पनियों की हानियों के लिए व्यवस्था के रूप में रकम;
- (v) संदेत या प्रस्तावित लाभांश की रकम;
- (vi) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय III के अधीन छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की रकम;
- (vii) धारा 80जजघ के अधीन सर्जित आरक्षित से निकाली गई रकम जिसका उपयोग धारा 80जजघ की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है;
- (viii) धारा 80 ज ज घ के अधीन सर्जित आरक्षित से निकाली गई रकम, उस सीमा तक जहां तक कि रकम का उपयोग धारा 80जजघ की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है।
- (ix) धारा 33कग की उपधारा (3) के अधीन लाभ समझी गई रकम;

से संबंधित व्यय की रकम;

(क) निम्नलिखित राशियां कृपया घटाइए :—

- (i) वह रकम जो आरक्षितियों या व्यवस्थाओं से वापस ली जाती है (धारा 80जजघ के अधीन आरक्षित से भिन्न)
- (ii) ऐसी आय की रकम जिसको आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय III के कोई उपबंध लागू होते हैं।
- (iii) कारबार से मानी गई रकम, जिनसे हुए लाभ धारा 80जजघ और 80जजघ के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं।
- (iv) हानि की रकम या अवक्षयण की रकम जो सुसंगत पूर्व वर्ष के लाभ के प्रति मुजरा की जानी अपेक्षित होगी मानों कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबंध लागू हैं।

3. जोड़िए और घटाइए स्तंभों के अधीन अलग-अलग समायोजनों की सकल राशि उपदर्शित कीजिए।

4. यहां पर बही-लाभ (अर्थात् 1 और 3 के समायोजन के बाद अतिशेष) उपदर्शित करें।

5. यहां, ऊपर 4 में संगणित बही-लाभ का 30 प्रतिशत उपदर्शित करें।

छ. कुल आय का विवरण

1. यहां आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन मद क से घ के सामने कर से प्रभार्य शुद्ध रकमों का उल्लेख कीजिए। ये वही होनी चाहिए जो क्रमशः मद क 8 के सामने पृष्ठ 1 पर, मद ख 12 के सामने पृष्ठ 2 पर और मद ग 16 और घ 5 के सामने पृष्ठ 3 पर उपदर्शित की गई हैं।
2. यहां (अधिनियम की धारा 71 के उपबंधों को लागू करने के पश्चात्) क से घ तक का शुद्ध परिणाम उपदर्शित किया जाना चाहिए।
3. I. यहां पूर्व वर्षों से अग्रणीत अनामेलित हानियां/मोकों की कुल रकम जिसको पृष्ठ 4 पर मद ड के प्रति मुजरा किए जाने का दावा करते हुए दर्शित किया है, उपदर्शित करें।
4. यहां परिणामी रकम अर्थात् मद 2 और 3 का अंतर उपदर्शित करें।
5. I. यहां अध्याय VI के अधीन दावा की गई कटौतियां उपदर्शित की जानी चाहिए। इन कटौतियों की संकलित रकम योग में दर्शित की जाए।
II. कृपया संदाय/अभिदाय की सकल रकम की संगणना, अर्हक रकम दावा की गई कटौती को शुद्ध रकम लिखें। यदि उपबंधित किया गया स्थान अपर्याप्त हो तो, संगणना पृथक कागज पर दें और उसे विवरणों के साथ संलग्न करें।
III. कृपया दावे के समर्थन में संदाय/अभिदाय का सबूत भी संलग्न करें।

अध्याय 6—क के अधीन पात्र कटौतियों का संबंध निम्नलिखित से है:—

- (i) कतिपय निधियों, पूर्ण संस्थाओं आदि को दान। कतिपय निधियों, पूर्ण संस्थाओं आदि को केवल वही नकद दान धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा, जिसका योग 250 रु० से अधिक है। संपूर्ण अधिकतम सीमा सकल कुल आय की 10 प्रतिशत है। जिसमें से वह रकम घटा दी जाएगी जिस पर कोई कर संदेय नहीं है या जिसके प्रति निर्देश से करदाता अध्याय 6-क के अधीन किसी कटौती का हकदार है (धारा 80छ)
 - (ii) वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राम विकास के लिए दान। वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कतिपय दानों की बाबत धारा 80छछक के अधीन 100 प्रतिशत कटौती उपलब्ध है।
 - (iii) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, पिछड़े क्षेत्रों में नये स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल कारबार से लाभों और अभिलाभों का 20 प्रतिशत (धारा 80जज)
 - (iv) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, कुछ क्षेत्रों में नए स्थापित लघु औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों का 20 प्रतिशत (धारा 80जजक)
 - (v) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, भारत से बाहर परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों का 50 प्रतिशत (धारा 80जजख)
 - (vi) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट माल या वाणिज्य के निर्यात से, यदि विक्रय आगम संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्य है, प्राप्त लाभों और अभिलाभों का 100 प्रतिशत (धारा 80जजग)
 - (vii) कुछ शर्तों और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अधीन रहते हुए, विदेशी पर्यटकों के प्रति की गई सेवाओं के लिए अनुमोदित होटलों या यात्रा अभिकर्ताओं या पर्यटन प्रचालक की आय, यदि प्राप्तियाँ, लाभ और हानि लेखा में नामे डाले गए और आरक्षित लेखा में जमा किए गए सुसंगत पूर्व वर्ष के ऐसे लाभ के अतिशेष को जोड़कर, ऐसी सेवाओं से लाभ का 50 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय है (धारा 80जजघ)
 - (viii) कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए 31.3.1981 के पश्चात् स्थापित औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों का 20 प्रतिशत (धारा 80 झ)
 - (ix) कुछ दशाओं में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों या पोतों या होटल कारबार से, लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (धारा 80 ज)
 - (x) कुक्कुट पालन के कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ का 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत (धारा 80जज)
 - (xi) कतिपय अंतर्निर्गम्य लाभों के संबंध में 60% कटौती—(धारा 80 ड)।
 - (xii) कतिपय विदेशी उद्यमों से स्वामित्व इत्यादि की बाबत कटौती (धारा 80 ण)
6. यहां कर से प्रभार्य कुल आय (4-5) दी जाए।
 7. पृष्ठ 4 पर मद च5 के सामने दर्शित, धारा 115ज के अधीन संगणित बही-लाभ का तीस प्रतिशत उपदर्शित करें।
 8. यहां, उपरोक्त मद 6 या 7 के अनुसार, जो भी अधिक हो धारा 115ज के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कुल आय, उपदर्शित करें।
 9. यहां, उपबंधित रीति से, दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कुल आय का शब्दों और अंकों दोनों में उल्लेख कीजिए।
 10. यदि किसी आय पर कर, विशेष दर से जैसे लाटरी आदि से जीत की बाबत धारा 115खख के अधीन या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अधिकतम मार्जिन दर से प्रभार्य है तो उसका ब्यौरा पृथक कागज पर दीजिए।
 11. यहां, अन्य व्यक्तियों को उद्भूत और निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित आय दी जाएगी

पृष्ठ—5

भाग II

करों का विवरण

1. यहां कुल आय पर संदेय कुल कर दिया जाना है।
2. यहां विलंब से विवरणी फाइल करने के लिए, अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए या अग्रिम कर के आस्थगन के लिए, प्रभार्य ब्याज अलग-अलग दीजिए। इनकी संगणना धारा 234क, धारा 234ख और धारा 234ग में अधिकृत रीति से की जाएगी।
3. यहां संदेय कर और ब्याज की कुल रकम (1 + 2) उपदर्शित की जानी है।
4. इन प्रयोजनों के लिए उपबंधित तत्संबंधी स्तंभों में (क) अग्रिम कर की किरतों और (ख) स्रोत पर कटौती किए गए/संग्रहीत करों की विशिष्टियाँ दें।
5. स्वतः निर्धारण पर (अर्थात् विवरणी फाइल करने से पहले) संदत्त कर और ब्याज के ब्यौरा दें और इस प्रकार संदत्त रकम के ~~समर्थन~~ समर्थन में चालान सौंप करें।
6. यहां अन्य पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हों, उपदर्शित किए जाने हैं। कृपया ऐसे संदाय का सबूत ~~संग्रहित~~ संग्रहित करें।
7. यहां कर/ब्याज की कुल संदत्त रकम (अर्थात् 4 + 5 + 6) दी जानी है।
8. यहां यथा स्थिति, संदेय या प्रतिदेय शुद्ध कर उपदर्शित किया जाना है। प्रतिदाय को उपदर्शित करने के लिए इसे ऋण (—) का चिह्न लगाएं।

भाग III

क. कारबार या वृत्ति से संबंधित जानकारी

1. (क) वह/वे पूरा/पूरे नाम और पता/पते दीजिए जिसमें/जिनमें कारबार/वृत्ति की जाती है। यदि दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है, तो कृपया ऐसा/ऐसे नाम और पता/पते अलग कागज पर लिखें और विवरणी के साथ संलग्न करें।

(ख) शाखा (शाखाओं) का/के पूरा/पूरे नाम और पता/पते लिखें।

(ग) कारबार की दशा में कृपया विनिर्दिष्ट कीजिए कि यह व्यापार/विनिर्माण/शोध/खुदरा विक्रय/निर्यात/आयात आदि है और वह/वे मुख्य मद (मदें) कौन सी है/हैं जिनका व्यापार किया जा रहा है। यदि वृत्ति है तो वृत्ति के नाम का उल्लेख कीजिए।

(घ) कृपया उल्लेख कीजिए कि यह 'लागत' या 'बाजार कीमत' या 'अन्यथा' है। यदि 'अन्यथा' है, तो उसका नाम और पद्धति दीजिए।

(ङ) कम्पनी के प्रबंध निदेशक/प्रधान अधिकारी/सचिव/उपसचिव का पूरा/पूरा नाम और पता/पते दीजिए।

का/के

ख. कंपनी द्वारा स्रोत पर कटौती/संग्रहीत किए गए कर की बाबत जानकारी

1. यहां निर्धारित कम्पनी का कर कटौती लेखा संख्या उपदर्शित कीजिए।

2. यहां उस स्रोत पर कर कटौती सर्किल का नाम दीजिए जहां कम्पनी द्वारा स्रोत पर काटे गए कर से संबंधित विवरणी (विवरणियां) फाइल की गई है।

3. (क) उन धाराओं पर जिनके अधीन स्रोत पर कर कटौती/संग्रहीत की गई है, (✓) लगाएं।

(ख) यहां उस अवधि जिसके लिए निर्धारित कम्पनी आय/हानि की विवरणी फाइल कर रही है, के दौरान सुसंगत धारा (धाराओं) के अधीन स्रोत पर कटौती की गई कर की रकम (रकमों) का उल्लेख करें।

(ग) यहां टोन्डोएस सर्किल सहित, स्रोत पर कर कटौती के लिए विहित विवरणी (विवरणियां) फाइल करने की तारीख (तारीखें) दीजिए।

पृष्ठ-6

ग. कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाषों से आय की संगणना में कटौती की गई राशि

I. यहां कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाषों से आय की संगणना में दावा की गई कटौतियों की विनिर्दिष्ट विशिष्टियां दीजिए। यदि कटौती का दावा विनिर्धान निक्षेप लेखा की भावत किया जाता है तो कृपया आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए।

II. कृपया दिए गए स्थान में अवक्षेपण के कारण की गई कटौती को उपदर्शित कीजिए। शेष स्थान का प्रयोग निम्नलिखित के संबंध में अनुज्ञेय कटौतियों को उपदर्शित करने के लिए कीजिए:—

मद

धारा

(i) विनिर्धान मोक

32क

(ii) विनिर्धान निक्षेप लेखा

32कख

(iii) विकास मोक

33क

(iv) बाय विकास मोक

33कख

(v) पुनर्वास मोक

33ख

(vi) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

35

(vii) पेटेंट अधिकारों या प्रतिलिप्याधिकारों के अर्जन पर व्यय

35क

(viii) व्यवहार ज्ञान पर व्यय

35कख

(ix) संगमों और संस्थाओं को

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों

35गक

(ख) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को करने के लिए संदाय

35गख

(x) प्रारंभिक व्ययों का अपाकरण

35घ

(xi) कुछ खनिजों के पूर्वक्षेपण पर व्यय

35ङ

(xii) कर्मचारियों को बोनस

36(1)(ii)

(xiii) उधार ली गई पूंजी पर व्याज

36(1)(iii)

(xiv) दूर्यत ऋण

36(1)(vii)

(xv) सत्कार व्यय

37

(xvi) निम्नलिखित पर व्यय

(क) विशापन

37

(ख) यात्रा

37

भाग IV — आय जिसके लिए छूट का दावा किया गया है

यहां आय जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, उपदर्शित की जानी है। ऐसी आय की मद के लिए जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, कृपया उसकी प्रकृति, वह रकम जिसके लिए छूट का दावा किया गया है और उस दावे के कारण विनिर्दिष्ट कीजिए।

भाग V — संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की सूची

यहां आय की विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की पूरी विशिष्टियां दीजिए।

सत्यापन

सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, सत्यापन के नीचे दिए गए विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस पर, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 140(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सत्यापन में सभी सुसंगत स्तंभों को भरें। यथा उपदर्शित स्थान और तारीख लिखें। जहां कहीं आवश्यक हो, विवरणी के साथ मुख्तारनामा संलग्न कीजिए।

वी. के. सक्सेना

वी०के० सक्सेना

अवर सचिव, भारत सरकार

सं० ४७६६ फा०सं० १३३/४०४/९०-टी०पी०एल०